

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांक:- प.70प.पा./विस्तार/ब/कोविड-19/2020-21

दिनांक :

समस्त जिला स्तरीय संयुक्त निदेशक
उप निदेशक, कुचामन सिटी
पशुपालन विभाग, राजस्थान।

विषय:- कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक चलाये जाने वाला विशेष जागरूकता अभियान।

प्रसंग:- राजस्थान सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पत्रांक, क्षेत्र प्रचार/2020/6949-7099
दिनांक 18.06.20

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को महामारी (pandemic) घोषित किया गया है तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से आमजन को मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने, सेनेटाइजर का उपयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रति जाग्रत किया जा रहा है।

लॉकडाउन खुलने के बाद शुरू हुई व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने के खतरे की सम्मभावना को दृष्टिगत रखते हुये मुख्यमंत्री महोदय, द्वारा प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर महामारी के प्रति जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया गया है। इस 10 दिवसीय विशेष अभियान में गांव-ढाणियों, वार्डों एवं मोहल्लों तक लोगों को इस महामारी से बचाव के प्रति विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जायेगा।

आप से अपेक्षा है कि आप अपने स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के प्रति आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिए यथासंभव विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करे,। राजस्थान संवाद के माध्यम से किए जाने वाले प्रचार-प्रसार कार्य नियमानुसार संवाद से ही कराए जाये।

इस संबंध में प्रचार सामग्री की CDR फाइल डाउनलोड करने के लिये <https://we.tl/t-Rvkf14KdEg> पर क्लिक कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

उक्त प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए इस 10 दिवसीय अभियान के दौरान किया जावे।


Sd/-
निदेशक

क्रमांक:- प.70प.पा./विस्तार/ब/कोविड-19/2020-21/2849-58

दिनांक : 23/6/2020

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 समस्त अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र)
- 2 उप निदेशक (IT) निदेशालय पशुपालन को भेज कर लेख है कि उक्त CDR फाइल के लिंक पर उपलब्ध प्रचार सामग्री को वेब साइट पर लोड करे ताकि पशुपालकलाभां वित हो सके।
- 3 3.रक्षित पत्रावली।


निदेशक

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

क्रमांक:- क्षेत्र प्रचार/2020/ 6949-7099
समस्त विभागाध्यक्ष,
राजस्थान।

जयपुर, दिनांक

18/06/2020

विषय:- कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक चलाये जाने वाला विशेष जागरूकता अभियान।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से आमजन को मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने, सेनेटाइजर का उपयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रति जाग्रत किया जा रहा है।

लॉकडाउन खुलने के बाद शुरू हुई व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने के खतरे की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर इस महामारी के प्रति जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया गया है। इस 10 दिवसीय विशेष अभियान में गांव-ढाणियों, वार्डों एवं मोहल्लों तक लोगों को इस महामारी से बचाव के प्रति विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जायेगा।

विशेष जागरूकता अभियान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (आई.ई.सी) द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, जिसमें ए.एन.एम., आशा सहयोगिनी, आंगनवाडी सहायिका व अन्य द्वारा ग्राम स्तर तक कोरोना के प्रति जागरूक करने वाली सामग्री घर-घर तक पहुँचाई जायेगी।

इसके अलावा निर्देशानुसार अन्य विभागों से भी अपेक्षा है कि वे भी अपने स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के प्रति आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिए यथासंभव विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करें। राजस्थान संवाद के माध्यम से किए जाने वाले प्रचार-प्रसार कार्य नियमानुसार संवाद से ही कराएं। इस संबंध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा तैयार कराई गई सामग्री की सी.डी.आर. फाईल पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं।

आप सभी इस प्रचार सामग्री का उपयोग कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए इस 10 दिवसीय अभियान के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रचार सामग्री या नवाचार के जरिये भी प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।

संलग्न:- प्रचार सामग्री की सी.डी.आर. फाईल।

भवदीय

(महेन्द्र सोनी)

आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सूजस।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त